**भारत सरकार**

**संस्कृति मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 3009**

**उत्तर देने की तारीख : 15 मार्च, 2021**

**ऐतिहासिक पुस्तकालयों की दशा**

**3009. श्री विनोद कुमार सोनकर :**
**श्री राजवीर सिंह (राजूभैय्या) :**
**श्री भोला सिंह :**
**श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :**
**डॉ. जयंत कुमार राय :**
**श्री राजा अमरेश्वर नाईक :**
**श्री निशीथ प्रामाणिक :**
**श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी :**
**डॉ. सुकान्त मजूमदार :**

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऐतिहासिक पुस्तकालयों की स्थिति दयनीय है तथा यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार सम्पूर्ण देश में पुस्तकालयों में सामान्य सेवा स्थिति और वेतन हेतु अखिल भारतीय पुस्तकालय सेवा संवर्ग बनाने पर विचार कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में अधिकतर महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पुस्तकालय अब गैर-पुस्तकालय पेशेवरों द्वारा चलाए जा रहे हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया हैं;

(घ) क्या सरकार के पास सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के विकास हेतु कोई रूपरेखा है और इस संबंध में पृथक निधि आवंटित की है तथा यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों में कर्मचारियों की कमी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)**

**संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

(क): भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, पुस्तकालय राज्य का विषय है और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकार के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है।

तथापि, सार्वजनिक पुस्तकालय अभियान के संवर्धन एवं सहायता हेतु केन्द्र सरकार की नोडल एजेंसी, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान (आरआरआरएलएफ), कोलकाता पुस्तकों, फर्नीचर और उपकरण, पुस्तकालय भवनों का आधुनिकीकरण, निर्माण, चल पुस्तकालय सेवाएं, बाल कॉर्नर की स्थापना, दिव्यांग पाठकों के लिए सुविधाएं, संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आदि जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास हेतु अपनी समतुल्य और गैर-समतुल्य स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

(ख) : मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) : पुस्तकालय राज्य का विषय है यह और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्राधिकार के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 6 पुस्तकालय हैं नामत:

i. राष्ट्रीय पुस्तकालय

ii. केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार

iii. केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय

iv. दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी

v. खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी

vi. रामपुर रजा पुस्तकालय

भर्ती नियमों के अनुसार, पूर्व में सभी उपर्युक्त पुस्तकालयों के प्रमुख पुस्तकालय व्यावसायिक थे। वर्तमान में राष्ट्रीय पुस्तकालय, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, रामपुर रजा पुस्तकालय, केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार में प्रमुखों के पद रिक्त हैं। इनके नियमित रूप से नियुक्ति किए जाने तक दैनिक कार्यकलापों को संचालित करने के लिए अतिरिक्त प्रभार राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता (06.03.2021 तक) और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी (08.12.2020 तक) के संदर्भ में संयुक्त सचिव (पुस्तकालय) को,

रामपुर रजा पुस्तकालय के संदर्भ में जिला मजिस्ट्रेट को और केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार के संदर्भ में निदेशक (पुस्तकालय) को सौंपा गया था।

(घ) : संस्कृति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन स्वायत्त संगठन राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान (आरआरआरएलएफ) द्वारा राज्य पुस्तकालय प्राधिकरणों के सक्रिय सहयोग से विभिन्न समतुल्य और गैर-समतुल्य स्कीमों के कार्यान्वयन के माध्यम से सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं में सुधार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन (एनएमएल) द्वारा अपनी एनएमएल मॉडल पुस्तकालय स्कीम के अंतर्गत संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक (1) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय और एक (1) जिला पुस्तकालय को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत छः (6) पुस्तकालय भी इस स्कीम के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र हैं।

(ड.) : पुस्तकालय राज्य का विषय है और देश के सार्वजनिक पुस्तकालय में मानव शक्ति की कमी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुस्तकालय प्राधिकार के कार्यक्षेत्र में आता है। तदनुसार, देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों में मानव शक्ति की कमी को पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले कदम इस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं।